

प्रेस विज्ञप्ति

16.01.2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), गुरुग्राम जोनल कार्यालय ने 15.01.2025 को कृष रियलटेक प्राइवेट लिमिटेड, अमित कत्याल और अन्य के मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत निर्माणाधीन लक्जरी होटल परियोजनाओं और श्रीलंका में 1, कोलंबो में 4 एकड़ से अधिक लीजहोल्ड अधिकारों और मेसर्स गुड अर्थ बिजनेस पार्क प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर मेसर्स विसिनिटी होटल्स प्राइवेट लिमिटेड के सेक्टर 66, गुरुग्राम, हरियाणा में स्थित 2.825 एकड़ के भूमि अधिकारों के रूप में 224.08 करोड़ रुपये (लगभग) मूल्य की अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है।

ईडी ने गुरुग्राम पुलिस और आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू), नई दिल्ली द्वारा आईपीसी, 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत अमित कत्याल और उनके सहयोगियों के खिलाफ दर्ज कई एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की, जिसमें आरोप लगाया गया है कि रियल एस्टेट के कारोबार में लगे मेसर्स कृष रियलटेक प्राइवेट लिमिटेड ने कई निवेशकों को धोखा दिया है और धोखाधड़ी, छल और जालसाजी से जुड़ी एक समन्वित योजना के माध्यम से अवैध रूप से विदेशों में सैकड़ों करोड़ रुपये स्थानांतरित किए हैं। कंपनी ने परियोजना से संबंधित तथ्यों को धोखा देने और गलत तरीके से पेश करके कई प्लॉट खरीदारों को ठगा और धोखा दिया। कंपनी ने गुड़गांव के केंद्र में आवासीय भूखंड उपलब्ध कराने के लिए एक परियोजना शुरू की। हालांकि, 13 साल से अधिक समय बीत जाने के बावजूद प्लॉट खरीदारों को कोई प्लॉट नहीं दिया गया। कंपनी ने निर्दोष प्लॉट खरीदारों की मेहनत की कमाई की 503 करोड़ रुपये की राशि हड़प ली।

ईडी की जांच से पता चला है कि कंपनी के प्रमोटर अमित कटियाल ने विभिन्न प्लॉट खरीदारों और निवेशकों से एकत्रित धन को स्वेच्छा से विदेश में एक श्रीलंकाई कंपनी में लगाया जिसका नाम द वन ट्रांसवर्क्स स्क्वायर प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व में कृष ट्रांसवर्क्स कोलंबो (प्राइवेट) लिमिटेड था जो श्रीलंका में एक लग्जरी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट विकसित कर रही थी। उक्त उद्देश्य के लिए प्रमोटर ने धन के डायवर्जन, लेयरिंग और छिपाने का सहारा लिया और धन को वैध आय के रूप में पेश किया। इसलिए, कोलंबो, श्रीलंका में 04 एकड़ भूमि और निर्मित हिस्से पर भवन और संरचना के अविभाजित हिस्से के रूप में 205 करोड़ रुपये की अपराध आय (पीओसी) को ईडी द्वारा कुर्क कर लिया गया है।

इसके अलावा, जांच के दौरान यह पता चला कि आरोपियों ने मेसर्स एनसीआर बिजनेस पार्क प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी में भी धन की हेराफेरी की है, जिसे अब मेसर्स गुड अर्थ बिजनेस पार्क प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जाना जाता है। आरोपियों द्वारा की गई हेराफेरी अपराध की आय है, जो विभिन्न प्लॉट खरीदारों और निवेशकों से डायवर्सन और लेयरिंग के माध्यम से एकत्र की गई है। इस प्रकार, गुड अर्थ बिजनेस पार्क प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर गुरुग्राम के सेक्टर 66 के बादशाहपुर और घासोला गांव में स्थित 2.825 एकड़ भूमि के रूप में 19.08 करोड़ रुपये की पीओसी, जिसे पहले एनसीआर बिजनेस पार्क प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जाना जाता था, को भी ईडी ने कुर्क कर लिया है।

ईडी ने इससे पहले 06.08.2024 और 17.10.2024 के पीएओ के जरिए 173.07 करोड़ रुपये मूल्य की विभिन्न संपत्तियों को कुर्क किया था।

आगे की जांच जारी है।